

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग,
कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, औरंगाबाद।**

प्रेस विज्ञप्ति

ज्ञापांक:- 380 / औरंगाबाद, दिनांक:- 25.03.2025

एतद् द्वारा मौजा-पोईवां, थाना नं०-595, अंचल-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद के रैयतों को सूचित किया जाता है कि हेतमपुर वितरणी से निःसृत भरवार ईमनपुर माईनर जलवाहा निर्माण हेतु उक्त ग्रामों में अंकित भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत सतत् लीज पर निबंधन कराने का निर्णय जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या-29/स०लो०-15-02/2024 पत्रांक-805, दिनांक-27.02.2025 द्वारा लिया गया है। उक्त भू-खण्ड का सत्यापन अंचल अधिकारी, औरंगाबाद से करा लिया गया है। जिसके अनुसार विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत लिये जाने वाली भूमि की वितरणी :-

क्र०	मौजा का नाम एवं थाना नं०	सर्वे खाता	सर्वे खेसरा	सर्वे रकबा (एकड़) में	अधियाधित रकबा (एकड़) में	भूमि की प्रकृति	खतियानी रैयत का नाम	वर्तमान रैयत का नाम जिनके नाम से जमाबंदी कायम है।	अभ्युक्ति
1	पोईवा 595	177	1168	0.94	0.13	धनहर	बकास्त मालिक	जगमोहन राम व लाल मोहन राम पिता झरी राम	
2		173	1157	4.76	0.49	धनहर	बकास्त मालिक	कुमार रण विजय सिंह, रणजीत कुमार सिंह, रणवीर कुमार सिंह, पिता स्व० श्रीरेंद्र कुमार सिंह	

प्रकाशित खाता सं०, खेसरा सं०, भू-धारी का नाम के संबंध में अगर किसी व्यक्ति की कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर सभी साक्ष्य/अभिलेखों के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क करेंगे। अभिलेखों के जाँचोपरान्त प्राप्त दावे का निस्तारण किया जाएगा। अन्यथा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाने की स्थिति के अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमानुकूल अग्रेंतर कार्रवाई की जाएगी।

हस्ताक्षर

(ई० मो० आरिफ अहमद)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक:- 380 / औरंगाबाद, दिनांक:- 25.03.2025

प्रतिलिपि :-

सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि किन्हीं दो मुख्य समाचार पत्र में लगातार दो दिन प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

हस्ताक्षर
(ई० मो० आरिफ अहमद)
कार्यपालक अभियन्ता,
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल,
औरंगाबाद।

हस्ताक्षर
25/03/25